न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– यशवंत भाकर, आर.ए.एस.

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र मु.स. 08/2017

श्री महमूद अली, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

2017/00049 प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री योगेन्द्र गांधी पुत्र रामगोपाल गांधी जाति गांधी (विक्रेता व भागीदार) मैसर्स गिरधरलाल रामगोपाल विजयवर्गीया के.ई.एम.रोड़, बीकानेर निवासी नाहटा मौहल्ला, बीकानेर
2. श्री रामगोपाल गांधी पुत्र श्री गिरधरलाल गांधी जाति गांधी (भागीदार)मैसर्स गिरधरलाल रामगोपाल विजयवर्गीया के.ई.एम.रोड़, बीकानेर निवासी नाहटा मौहल्ला, बीकानेर
3. मैसर्स गिरधरलाल रामगोपाल विजयवर्गीया के.ई.एम.रोड़, बीकानेर
4. श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बुलाकीदास अग्रवाल (भागीदार) मैसर्स अनिल एजेन्सीज, फड़ बाजार बीकानेर – निवासी बागड़ी मौहल्ला, बीकानेर
5. श्रीमती पिंकी अग्रवाल पत्नी श्री सुशील कुमार अग्रवाल (भागीदार) मैसर्स अनिल एजेन्सीज, फड़ बाजार बीकानेर – निवासी बागड़ी मौहल्ला, बीकानेर
6. मैसर्स अनिल एजेन्सीज, फड़ बाजार बीकानेर
7. श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा (नोमिनी) मै0 गुरूजी प्रोडक्ट्स प्रा.लि., RCC Shed, Door No.4, Plot No.544, 1-D Vishwakarma Industrial Area, Jaipur (Raj) 302013Office: GURUJI PRODUCTS PVT. LTD. 201, Shalimar Corporate Centre, 8-B South Tukoganj, opp. Hotel Pallavi, Indore(MP)
8. मै0 गुरूजी प्रोडक्ट्स प्रा.लि., RCC Shed, Door No.4, Plot No.544, 1-D Vishwakarma Industrial Area, Jaipur (Raj) 302013
   Office: GURUJI PRODUCTS PVT. LTD. 201, Shalimar Corporate Centre, 8-B South Tukoganj, opp. Hotel Pallavi, Indore (MP)

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011</u>

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली, खादय सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 3 – अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 व 6 – श्री विजय कुमार पारीक अधिवक्ता
4. अप्रार्थी संख्या 7 व 8 – इकतरफा।

–: निर्णय :– दिनांक :– 27.03.2018

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 24.05.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री योगेन्द्र गांधी पुत्र श्री रामगोपाल गांधी निवासी नाहटा मौहल्ला बीकानेर मैसर्स गिरधरलाल रामगोपाल विजयवर्गीया, के.ई.एम. रोड़, बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण दौरान 24 पैक्ड प्लास्टिक बोतल Rose Sharbat (Shree Guruji) पैक्ड 750 मिली. प्लास्टिक बोतल आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त Rose Sharbat (Shree Guruji) पैक्ड 750 मिली. 24 बोतलों में से 4 पैक्ड प्लास्टिक बोतल Rose Sharbat (Shree Guruji) वास्ते नमूना संग्रह हेतु उनके द्वारा बताये अनुसार कुल कीमत 520/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी खासुअ, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त Rose Sharbat (Shree Guruji) की प्रत्येक प्लास्टिक बोतलों को सीलबन्द पैक कर एक सीलयुक्त पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला; राज.जयपुर को

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 08.08.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें Rose Sharbat (Shree Guruji) मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा Rose Sharbat (Shree Guruji) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की ओर से श्री विजय कुमार पारीक अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया । अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आने पर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तदन्तर उभय पक्ष का कथन सुना गया।

3. प्रार्थी श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से Rose Sharbat (Shree Guruji) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Rose Sharbat (Shree Guruji) bearing Code No. and Sr. No. AB-754 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां Rose Sharbat (Shree Guruji) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का जवाब है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उनकी दुकान पर दिनांक 24.5.2016 को रोज शरबत (श्री गुरूजी) की शुद्धता की जांच हेतु नमूना लिया गया जो मिसब्राण्ड आया है। उनका यह भी जवाब है कि उक्त पैक बोतल उनके द्वारा श्री अनिल एजेन्सी फड़ बाजार बीकानेर से खरीदा गया है जिसका बिल भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पेश कर दिया गया था । अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का इसमें कोई दोष नहीं होने के कारण दोष मुक्त किया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 4 से 6 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को सैंपलिंग हेतु कोई जानकारी नही दी और ना ही उसे लिखित/मौखिक नोटिस दिया बल्कि उसे धमकाते हुए बिना मूल्य चुकाये शर्बत रोज की बोतलें प्राप्त की गई। अप्रार्थी को जांच रिपोर्ट की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी और ना हीं अप्रार्थीगणों को जांच के संबंध में कोई पत्र प्रेषित किया जिससे पुनः जांच करवाने से अप्रार्थीगण वंचित रहे। मात्र खानापूर्ति कर पुनः जांच हेतु रजिस्टर्ड पत्र केवल अप्रार्थी संख्या 1 को भेजना बताया गया है किस पर तामील हुआ है का कोई स्पष्ट उल्लेख अंकित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के यहां से दिनांक 24.5.2016 को लिये गये नमूने की जांच हेतु प्रयोगशाला में किस दिनांक को जमा करवाई तथा सैम्पल जमा नहीं होने तक किसकी कस्टडी में रही कोई उल्लेख पत्रावली में अंकित नहीं है। अंप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मिलावटी नहीं पाया गया है और ना ही जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया है। केवल मात्र मिसब्राण्ड होना पाया गया है। उन्होनें यह भी कथन

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

किया कि अप्रार्थी संख्या 4, 5 एवं 6 उत्पादन एवं निर्माता नहीं है बल्कि उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 व 8 निर्माता/उत्पादनकर्ता से सील्ड पैक खरीदकर उसी अवस्था में अप्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के माध्यम से विक्रय किया गया था। इसलिए खाद्य पदार्थ की मानकता व पैकेजिंग के संबंध में अप्रार्थी संख्या 4, 5 एवं 6 का कोई दायित्व नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विधि विरूद्ध एवं आधा–अधूरा होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगणों को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये Rose Sharbat (Shree Guruji) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया Rose Sharbat (Shree Guruji) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S.1849/Act 2016/2792 दिनांक 08.08.2016 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Rose Sharbat (Shree Guruji)" bearing Code No. and Sr. No. AB-754 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि ''कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपयोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भण्डारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो मिथ्या छाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रूपय तक की हो सकेगी, दायी होगा।'' चूंकि प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीगण द्वारा मानव उपभोग के लिये खाद्य सामग्री का भण्डारण कर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था, जो जन विश्लेषक, जयपुर की रिर्पोट से मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। अप्रार्थी के यहां Rose Sharbat (Shree Guruji) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का जो आरोप आरोपित किये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 प्रथम दृष्ट्या क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप) खाद्य प्रदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय के लिये विनिर्माण, भण्डारन, विक्रय एवं वितरण के समान रूप से दोषी है।

7. अप्रार्थीगण द्वारा Rose Sharbat (Shree Guruji) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

8. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में Rose Sharbat (Shree Guruji) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक

अति॰ जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 60,000/– अखरे रूपये साठ हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

9. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

10. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ग) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति का 50 प्रतिशत शास्ति राशि 30,000/– अखरे तीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 7 व 8 समान रूप से 1/2 शास्ति राशि यानि 15,000/–, 15,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 8 भरने हेतु दायी होगें।

11. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री Sharbat (Shree Guruji) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का वितरण/विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ग) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 7 व 8 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 30,000/– अखरे तीस हजार रूपये में से शेष अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 समान रूप से 1/6 शास्ति राशि यानि 5,000/–, 5,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित साठ हजार रूपये की शास्ति राशि में से तीस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 7 व 8 प्रत्येक 15–15 हजार रूपये (विनिर्माता) एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक 5–5 हजार रूपये की शास्ति राशि अदा करेगें।

12. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें।

13. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * बीकानेर

(यशवन्त भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner